



न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी (जिला- गंगापुर सिटी)

नं. : 52/2024

तारीख रजु : 26/07/2024

निर्णय दिनांक : 07/08/2024

सरकार बनाम शब्बीर

-: निर्णय :-


पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उदेई कलां स ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि श्री शब्बीर पुत्र अब्दुल रहीम जाति खेलदार (मुसलमान) निवासी उदेई कलां ने खसरा नं. 4853 रकबा 0.07 है० किरम गै०मु० रास्ता वाके ग्राम उदेई कला पर संवत् 2081 फसल खरीफ में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया ।

गैरसायल को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त। गैरसायल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव इस आशय पेश किया कि उसके द्वारा किसी भूमि गै०मु० रास्ता पर अतिचार नहीं किया है तथा स्वयं की खातेदारी भूमि पर ही काबिज है। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

पटवारी हल्का उपस्थित। अतिक्रमण के संबंध में उपस्थित पटवारी हल्का के बयान लिए गए। पटवारी हल्का ने अपने बयानों में बताया है कि अतिक्रमी ने उक्त आराजी पर कृषि वर्ष संवत् 2079 में भी अतिक्रमण किया था एवं अब संवत् 2081 में भी उसके द्वारा पुनः अतिक्रमण किया गया है। इस प्रकार अतिक्रमी बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है एवं अतिक्रमी द्वारा वर्तमान में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का के बयानों से जाहिर होता है कि अतिक्रमी बार बार अतिक्रमण करने का आदी है। पूर्व में भी अतिक्रमी को उक्त भूमि से बेदखल किया जा चुका है। चूंकि अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे अतिक्रमी को बेदखल किया जाना एवं उसके इस कृत्य के लिए सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर श्री शब्बीर पुत्र अब्दुल रहीम जाति खेलदार (मुसलमान) निवासी उदेई कलां का पश्चातवर्ती अतिचार प्रमाणित होने के कारण उसके विरुद्ध राजस्थान भू राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमी को 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है। अतिक्रमी का वारण्ट गिरफ्तारी जारी कर वास्ते तामील भारसाधक पदाधिकारी को भिजवाया जावे। साथ ही अतिक्रमी को आराजी प्रश्नगत से बेदखल किया जावें एवं लगान 1/- की दर से 50 गुना शास्ति 50/- आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे/फसल को नियमानुसार कब्जे राज में लेकर नियमानुसार बेदखल करें एवं पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे । पत्रावली फसलशुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो ।

निर्णय आज दिनांक 07/08/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर "घ" के पेज संख्यापर
रुपये 50/- की कायमी वर्ष 2024-25
की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार